क्रम-संख्या–73

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 मार्च, 2026

फाल्गुन 22, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–4

संख्या 625/52-4-2025-4099 / 42–2023
लखनऊ, 13 मार्च, 2026

अधिसूचना

सा०प०नि०–19

आनंद विवाह अधिनियम, 1909 (अधिनियम संख्या 7 सन् 1909) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य में आनंद विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबन्ध करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:–

उत्तर प्रदेश आनंद विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस नियमावली को उत्तर प्रदेश आनंद विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2026 कही जाएगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2–(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–, इस नियमावली में,

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य आनंद विवाह अधिनियम, 1909 (अधिनियम संख्या 7 सन् 1909) से है;

(ख) ''आनंद विवाह'' का तात्पर्य ''आनंद'' जिसे सामान्यतः ''आनंद कारज'' के रूप में जाना जाता है; द्वारा अनुष्ठापित सिख विवाह से है;

(ग) ''मुख्य आनंद विवाह रजिस्ट्रार'' का तात्पर्य निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उत्तर प्रदेश से है;

(घ) ''जिला आनंद विवाह रजिस्ट्रार'' का तात्पर्य जिले के जिला मजिस्ट्रेट से है;

(ङ) ''मण्डल आनंद विवाह रजिस्ट्रार'' का तात्पर्य संबंधित मण्डल के मण्डलायुक्त से है;

(च) ''विदेशी नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत का नागरिक नहीं है;

(छ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्रों से है;

(ज) ''अनिवासी भारतीय'' (NRI) का तात्पर्य ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक के लिए भारत से बाहर स्थायी या अस्थायी रूप से बसा हो;

(एक) भारत के बाहर रोजगार प्राप्त करने हेतु; या

(दो) भारत के बाहर कारबार या व्यवसाय संचालित करने हेतु; या

(तीन) किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिससे ऐसा प्रयोजन पूर्ण या परिपूर्ण करने के लिए अनिश्चित या अवधारित अवधि हेतु ऐसी परिस्थितियों में भारत की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर रहने का उसका आशय उपदर्शित हो;

(झ) ''रजिस्टर'' का तात्पर्य आनंद विवाह रजिस्टर से है;

(ञ) ''आनंद विवाह रजिस्ट्रार'' का तात्पर्य अपनी अधिकारिता के भीतर उस क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट से है;

(ट) ''सम्बंधी'' का तात्पर्य वर और वधु के माता–पिता के अतिरिक्त अन्य पारिवारिक सदस्यों से है, अर्थातः–

(एक) पितामह एवं मातामह;

(दो) चाचा एवं चाची;

(तीन) भाई;

(चार) बहन; और

(पाँच) चचेरा भाई-बहन।

(ठ)''राज्य सरकार'' का तात्पर्य अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त (किन्तु अपरिभाषित) शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किया गया है।

आनंद विवाहों के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्राधिकार

3–उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर अनुष्ठापित आनंद विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ उप जिला मजिस्ट्रेट अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर आनंद विवाह के रजिस्ट्रार होंगे।

अधिकारिता

4–आनंद विवाह उस रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, जिसकी अधिकारिता में ऐसा विवाह अनुष्ठापित हुआ हो।

विवाह रजिस्ट्रीकरण हेतु ज्ञापन का प्रस्तुतीकरण

5–(1) आनंद विवाह के पक्षकार या उनके माता–पिता या सम्बंधी में से कोई, ऐसे विवाह के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर, विवाह रजिस्ट्रीकरण हेतु सम्बंधित आनंद विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष प्ररूप–एक में ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे।

(2) यदि विवाह के पक्षकारों में से एक अनिवासी भारतीय हो, तो उस स्थिति में, प्ररूप–एक क में विवाह ज्ञापन के साथ प्ररूप–एक क में यथाविनिर्दिष्ट सभी आवश्यक जानकारी संलग्न करेंगें।

(3) ज्ञापन के साथ न्यायालय फीस स्टाम्प (ई–स्टाम्प) के रूप में रुपये एक हजार पाँच सौ की फीस संलग्न होगी।

(4) आनंद विवाह रजिस्ट्रार, नियम 7 के उपबन्धों से स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात्, विवाह रजिस्ट्रीकरण प्रयोजन के लिए ज्ञापन प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर विवाह का रजिस्ट्रीकरण करेगा।

नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत आनंद विवाह रजिस्ट्रीरण हेतु ज्ञापन

6–(1) यदि यथास्थिति आनंद विवाह के पक्षकार या उनके माता–पिता या सम्बन्धियों में से कोई विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप–दो में ज्ञापन, सम्बंधित आनंद विवाह रजिस्ट्रार को प्ररूप–तीन में घोषणा के साथ प्रस्तुत करता है, तो–

(एक) विवाह अनुष्ठापित होने के दिनांक से तीन माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, किन्तु छह माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत होने पर, ऐसा विवाह नियम 5 के उपनियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त, रुपये एक हजार विलम्ब फीस के भुगतान के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(दो) विवाह के अनुष्ठान के दिनांक से छह माह की अवधि की समाप्ति के बाद, किन्तु तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत होने पर, सम्बंधित जिला आनंद विवाह रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही नियम 5 के उपनियम (3) में यथाविनिर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त एक हजार पांच सौ रुपये विलंब फीस के भुगतान के अध्यधीन रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

(तीन) विवाह अनुष्ठान होने के दिनांक से तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि बीत जाने के बाद, ऐसे विवाह का रजिस्ट्रीकरण केवल मंडल आनंद विवाह रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद नियम 5 के उपनियम (3) में यथाविनिर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त रुपये दो हजार के विलंब फीस के भुगतान के अध्यधीन किया जायेगा।

(चार) छह माह की अवधि के उपरान्त जिला रजिस्ट्रार यदि आवश्यक हो तो उचित समझे जाने पर ऐसा सत्यापन करवा सकता है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट पक्षकार, अपने विवाह रजिस्ट्रीकरण ज्ञापन को एक शपथ-पत्र (जो नोटरी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित हो) के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसमें विलंब से प्रस्तुत करने के कारणों का वर्णन होगा।

आनंद विवाहों का सत्यापन और रजिस्ट्रीकरण

7–(1) जहाँ नियम 5 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन प्राप्त विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन और दस्तावेजों के सत्यापन और जाँच के बाद, रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि विवाह अनुष्ठापित हो गया है, तो वह विवाह का विवरण रजिस्टर में दर्ज कर (प्ररूप–चार) में आनंद विवाह का प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) जहाँ रजिस्ट्रार को यह विश्वास करने का कारण हो कि–

(क) पक्षकारों के बीच विवाह आनंद विवाह नहीं है; या

(ख) विवाह के अनुष्ठापित होने की पहचान करने वाले पक्षकारों या साक्षी की पहचान स्थापित नहीं हुई है; या

(ग) उनके समक्ष प्रस्तुत किए गये दस्तावेज आनंद विवाह के अनुष्ठापित होने के तथ्य को स्थापित नहीं करते हैं;

तो वह पक्षकारों की विवाह रजिस्ट्रीकरण ज्ञापन प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर पक्षकारों और गवाहों की पहचान स्थापित करने या उसके समक्ष प्रस्तुत की गई जानकारी या दस्तावेजों में सुधार करने के लिए ऐसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु बुलायेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझें।

आनंद विवाह के रजिस्ट्रीकरण से इनकार

8–यदि विवाह के पक्षकार नियम 7 के उपनियम (2) के अधीन जारी निदेशों के अनुपालन में विफल रहते हैं, तो रजिस्ट्रार लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, आनंद विवाह का रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार कर देगा।

विवाह रजिस्टर में प्रविष्टि का संशोधन या निरस्तीकरण

9—यदि आनंद विवाह रजिस्ट्रार स्वयं या किसी व्यक्ति के आवेदन पर यह पाता है कि किसी विवाह की प्रविष्टि रूप या सार में त्रुटिपूर्ण है या कपटपूर्ण या अनुचित तरीके से की गई है, तो वह आख्यापक आदेश पारित कर अनुरक्षित रजिस्टर में ऐसी प्रविष्टि को यथास्थिति संशोधित या निरस्त कर सकता है, और ऐसे रजिस्टर के टिप्पणी स्तम्भ में इस आशय की प्रविष्टि कर सकता है:

परन्तु यह कि ऐसा सुधार या निरस्तीकरण से अनुष्ठापित विवाह की विधिमान्यता प्रभावित नहीं होगी;

परन्तु यह और कि ऐसे विवाह से सम्बन्धित रजिस्टर में की गयी प्रविष्टि के, जैसा भी मामला हो, संशोधन या रद्द करने के लिए आनंद विवाह के रजिस्ट्रार द्वारा कोई ऐसा आदेश पारित किये जाने से पूर्व सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

आनंद विवाह के रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार के आदेशों के विरूद्ध अपील

10—(1) आनंद विवाह रजिस्ट्रार द्वारा किसी आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश के पारित होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर, न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में रुपये एक हजार फीस अदा करके, आनंद विवाह के जिला रजिस्ट्रार को प्ररूप—पाँच में अपील दायर कर सकता है।

(2) आनंद विवाह के जिला रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी भी आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर, न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में रुपये पांच सौ फीस भुगतान करके, आनंद विवाह के मण्डल रजिस्ट्रार, को प्ररूप—छह में अपील कर सकता है।

रजिस्ट्रीकृत विवाहों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

11—(1) आनंद विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश राज्य में अनुष्ठापित हुए विवाहों की रिपोर्ट विनिर्दिष्ट प्रारूप में तैयार करेंगे और उसे त्रैमासिक आधार पर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

(2) आनंद विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार, समय—समय पर, जैसा वह उचित समझें, अभिलेखों/रजिस्टरों के रख—रखाव के सम्बंध में आनंद विवाह रजिस्ट्रार को निदेश जारी करेंगे।

(3) आनंद विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार, जिला आनंद विवाह रजिस्ट्रार और आनंद विवाह के मण्डल रजिस्ट्रार को, अपने—अपने अधिकारिता में आने वाले आनंद विवाह के रजिस्ट्रार को अभिलेखों का समय—समय पर निरीक्षण करने का निदेश दे सकते हैं।

(4) आनंद विवाहों का रजिस्ट्रार, नियम 9 के अधीन किए गये संशोधनों का विवरण, संशोधन का दिनांक और उसकी एक प्रति जिला आनंद विवाह रजिस्ट्रार को भी भेजेंगे।

आनंद विवाह रजिस्टर का रख—रखाव

12—(1) प्रत्येक आनंद विवाह रजिस्ट्रार द्वारा आनंद विवाह रजिस्टर को प्ररूप—सात में (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में) रखा जाएगा।

(2) आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, आनंद विवाह रजिस्टर का प्रमाणित उद्धरण विवाह के पक्षकारों को बीस रुपये की न्यायालय फीस के रूप में भुगतान करने पर प्रदान की जाएगी।

आज्ञा से,
संयुक्ता समद्दार,
प्रमुख सचिव,

प्ररूप–1

(नियम 5 देखें)

आनंद विवाह रजिस्टर

1– आनंद विवाह की तिथि

2– आनंद विवाह का स्थान	गाँव / कस्बे / शहर का विवरण	जनपद

पति के हस्ताक्षर

पत्नी के हस्ताक्षर

3– आनंद विवाह के पक्षों का विवरण (आनंद विवाह की तिथि के अनुसार)

विवरण	पति	पत्नी
(क) पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)		
(ख) राष्ट्रीयता		
(ग) आयु और जन्म तिथि (पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करना होगा)		
(घ) स्थायी पता		
(ङ) वर्तमान पता		
*(च) पूर्ववर्ती वैवाहिक स्थिति अविवाहित विधुर विधवा तलाकशुदा		
(छ) पिता का नाम और पता		
(ज) माता का नाम और पता		

*जो भी लागू हो उस पर ( ) चिन्ह लगायें।

4– विवाह के अनुष्ठापन के साक्षी

1– (क) नामः

(ख) पताः

दिनांक सहित हस्ताक्षर

2– (क) नामः

(ख) पताः

दिनांक सहित हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु स्थान

5– ज्ञापन प्राप्ति का दिनांक .....

6– नियम 6 के अधीन अपेक्षित दस्तावेजों / अभिलेखों / विवाह के प्रमाण के ब्यौरेः

दिनांकः

रजिस्ट्रारः

रजिस्ट्रीकरण संख्याः..... / (वर्ष)

दिनांक.....

रजिस्ट्रार

प्ररूप – एक (क)

[नियम 5(2) देखें]

किसी भी विवाह के मामले में, जहाँ पक्षों में से एक अनिवासी भारतीय या विदेशी नागरिक हो।

ऐसे पक्षों के लिए निम्नलिखित ब्यौरों का लिखित रूप में प्रकट करना और उल्लिखित करना अनिवार्य होगा–

1– उसका पासपोर्ट संख्याः

2– पासपोर्ट जारी करने वाले देश का नाम और स्थानः

3– पासपोर्ट की विधिमान्यताः

4– वर्तमान विदेश निवास के देश में स्थायी आवासीय पताः

5– वर्तमान विदेश निवास के देश में आधिकारिक/कार्यालय पताः

6– वर्तमान विधिमान्य सामाजिक सुरक्षा संख्या या विदेशी निवास के देश द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया गया कोई अन्य समान पहचान प्रमाण।

यह जानकारी विवाह प्रमाण-पत्र तथा विवाह रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।

प्ररूप–दो

(नियम 6 देखें)

आनंद विवाह रजिस्ट्रीकरण हेतु ज्ञापन

1– विवाह की तिथि

2– विवाह का स्थान	गॉव / कस्बे / नगर के विशिष्ट	जिला

3–विवाह के पक्षों के ब्योरे (विवाह के दिनांक के अनुसार)

ब्यौरे	पति	पत्नी
(क) पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)		
(ख) राष्ट्रीयता		
(ग) आयु और जन्मतिथि (पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करना होगा)		
(घ) स्थायी पता		
(ङ) वर्तमान पता		
*(च) पूर्ववर्ती वैवाहिक स्थिति अविवाहित विधुर विधवा तलाकशुदा		
(छ) पिता का नाम और पता		
(ज) माता का नाम और पता		

*जो भी लागू हो उस पर ( ) चिन्ह लगायें।

4–विवाह के अनुष्ठापन के साक्षी

1– (क) नामः
(ख) पताः
(ग) दिनांक सहित हस्ताक्षरः

2– (क) नामः
(ख) पताः
(ग) दिनांक सहित हस्ताक्षरः

5– नियम के अधीन आवश्यक दस्तावेजों / अभिलेखों / विवाह के प्रमाण के ब्यौरेः

पक्षों की घोषणा

हम.....एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दर्शाए गये ब्यौरे हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

पक्षों के हस्ताक्षरः

स्थानः	1–पति
दिनांकः	2–पत्नी

(कार्यालय उपयोग हेतु)

डाक द्वारा / व्यक्तिगत रूप से प्राप्त.....

आनंद विवाह के रजिस्टर में दिनांक .....को रजिस्ट्रीकरण के रूप में रजिस्टर संख्या..... द्वारा रजिस्ट्रीकृत।

आनंद विवाह का रजिस्ट्रार

*पति और पत्नी का नाम

प्ररूप–तीन

(नियम 6 देख)

घोषणा

हम, मैं ..... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि हमारा विवाह.....(विवाह का दिनांक) को ..... (विवाह का स्थान) अनुष्ठापन हुआ।

विवाह पंजीकरण हेतु ज्ञापन नियम 6 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर (विनिर्दिष्ट कारण) प्रस्तुत नहीं किया जा सका। हम अपने विवाह के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ विवाह के अनुष्ठापन होने को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों के साथ ज्ञापन प्ररूप–दो एतद्द्वारा प्रस्तुत करते हैं।

स्थानः

दिनांकः

पति के हस्ताक्षर पत्नी के हस्ताक्षर

1– पति और पत्नी का नाम।

————————

प्ररूप–चार

[नियम 7(1) देखें]

उत्तर प्रदेश सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग

आनंद विवाह प्रमाण–पत्र

(उत्तर प्रदेश आनंद विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 2025 के नियम 7 के अधीन जारी)

प्रमाण–पत्र संख्या .....

दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित जानकारी (स्थानीय क्षेत्र के) रजिस्ट्रार कार्यालय में प्ररूप संख्या–1 में रखे गए आनंद विवाह के रजिस्टर से ली गयी है।

1– विवाह का दिनांक .....

2– विवाह का स्थान ..... (प्ररूप संख्या 1 के अनुसार)

3– विवाह के पक्षों का ब्यौराः

ब्यौरा	पति	पत्नी
(क) पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)		
(ख) राष्ट्रीयता		
(ग) आयु और जन्मतिथि		
(घ) व्यवसाय		
(ङ) स्थायी पता		
(च) तस्वीरें (कवरिंग फोटो पर कार्यालय की मुहर)		

वर्ष सहित रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

रजिस्ट्रीकरण का दिनांक.....

आनंद विवाह का रजिस्ट्रार

प्ररूप– पाँच

[नियम 10 (1) देखें]

आनंद विवाह रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आनंद विवाह के जिला रजिस्ट्रार के समक्ष अपील हेतु आवेदन–

1– आवेदक/याचिकाकर्ता का नाम–.....
2– आवेदक के पिता का नाम–.....
3– आवेदक का पूरा पता–.....
4– आनंद विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष आवदेक द्वारा आवेदन का दिनांक.....
5– आनंद विवाह रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश, दिनांक–.....
6– आनंद विवाह रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश का निष्कर्ष–.....
7– आनंद विवाह के जिला रजिस्ट्रार के समक्ष अपील का मुख्य कारण–.....

पक्षकारों की घोषणा

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिया गया ब्यौरा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

पक्षकारों के हस्ताक्षर–

पति–
पत्नी–
स्थान–
दिनांक–
साक्षी–
(फाइल करते समय उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

———————

प्ररूप – छह

[नियम 10 (2) देखें]

आनंद विवाह के जिला रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आनंद विवाह के मण्डलीय रजिस्ट्रार के समक्ष अपील हेतु आवेदन–

1– आवेदक/याचिकाकर्ता का नाम–.....
2– आवेदक के पिता का नाम–.....
3– आवेदक का पूरा पता–.....
4– आनंद विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष आवदेक द्वारा आवेदन का दिनांक–.....
5– आनंद विवाह रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश, दिनांक–.....
6– आनंद विवाह रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश का निष्कर्ष–.....
7– आनंद विवाह के जिला रजिस्ट्रार के समक्ष अपील का मुख्य कारण–.....

पक्षकारों की घोषणा

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिया गया ब्यौरा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

पक्षकारों के हस्ताक्षर–
पति–

पत्नी–
स्थान–
दिनांक–
साक्षी–
(फाइल करते समय उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

प्ररूप–सात

(नियम 12)

विवाह निबन्धक

क्र0 सं0	वर/वधू का नाम	वर/वधू दोनों के माता पिता	वर/वधू दोनों का आवासीय पता	विवाह के अनुष्ठापन का दिनांक	वह स्थान जहाँ विवाह अनुष्ठापित हुआ	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7

———————

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 625/LII-4-2025-4099 /42-2023, Dated March 13, 2026:

No. 625/LII-4-2025-4099 /42-2023

Dated Lucknow, *March* 13, 2026

IN exercise of the powers conferred by Section 6 of the Anand Marriage Act, 1909 (Act no. 7 of 1909) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to provide for the registration of Anand Marriages in the State of Uttar Pradesh, namely:–

THE UTTAR PRADESH ANAND MARRIAGES REGISTRATION RULES, 2026

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Anand Marriages Registration Rules, 2026.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official *Gazette.*

Definitions

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,–

(a) "Act" means the Anand Marriage Act, 1909 (Act no. 7 of 1909);

(b) "Anand Marriage" means a Sikh Marriage solemnized by "Anand" commonly known as Anand Karaj;

(c) "Chief Registrar of Anand Marriages" means the Director, Minority Welfare and Waqf Department, Uttar Pradesh;

(d) "District Registrar of Anand Marriages" means District Magistrate of the District;

(e) "Divisional Registrar of Anand Marriages" means Divisional Commissioner of the Division;

(f) "Foreign National" means any person who is not a citizen of India;

(g) "Form" means a Form appended to these rules;

(h) "Non-resident Indian" (NRI) means a person of Indian origin, who is either permanently or temporarily settled outside India for any of the following purposes:–

(i) for taking up employment outside India; or

(ii) for carrying on a business or vocation outside India; or

(iii) for any other purpose, as would indicate his/her intention in such circumstances to stay outside the territorial limits of India for an uncertain or determined period for fulfilling or completing such purpose;

(i) "Register" means a Register of Anand Marriage;

(j) "Registrar of Anand Marriages" means the Sub-Divisional Magistrate of the area within his jurisdiction;

(k) "Relations" means the family member of the bridegroom and the bride, apart from their parents, namely:–

(i) paternal and maternal grandfather/grandmother;

(ii) uncle and aunt;

(iii) brother;

(iv) sister; and

(v) cousin.

(l) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh in the Department of Minority Welfare and Waqf Department.

(2) Words and expressions used in these rules, but not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

Authorization for registration of Anand Marriages

3. For the purpose of registration of Anand Marriage solemnized within the State of Uttar Pradesh, the Sub-Divisional Magistrate shall be the Registrar of Anand Marriages within their respective jurisdiction.

Jurisdiction

4. The Anand Marriage shall be registered with the Registrar within whose jurisdiction such Marriage has been solemnized.

Presentation of memorandum for registration of Marriage

5. (1) The parties to an Anand Marriage or any of their parents or relations, as the case may be, shall present the memorandum in Form-I, before the Registrar of Anand Marriages concerned, for registration of Marriage within a period of three months from the date of such Marriage.

(2) If one of the parties to the Marriage is Non-resident Indian, in that case, they shall attach all necessary information as specified in the Form I-A, along with the memorandum of Marriage in Form-I.

(3) The memorandum for registration of Marriage shall be accompanied with a fee of rupees fifteen hundred in the form of Court fee stamps (e-stamp).

(4) The Registrar of Anand Marriages, after satisfying himself the provisions of Rule 7, shall register the Marriage within a period of one month from the date of receipt of the memorandum for registration of Marriage for the purpose.

Memorandum for registration of Anand Marriage submitted after the stipulated period

6. (1) In case the parties to an Anand Marriage or any of their parents or relations, as the case may be, submits memorandum for registration of Marriage in Form-II to the Registrar of Anand Marriage concerned along with declaration in Form-III,–

(i) after the expiry of a period of three months but not after a period of six months from the date of solemnization of the Marriage, such Marriage shall be registered subject to the payment of a late fee of rupees one thousand, in addition to the fee as specified in sub-rule (3) of Rule 5;

(ii) after the expiry of a period of six months but within a period of three years from the date of solemnization of the Marriage, such Marriage shall be registered only after obtaining the written permission of the District Registrar of Anand Marriages concerned, subject to payment of a late fee of rupees one thousand and five hundred in addition to the fee, as specified in sub-rule (3) of Rule 5;

(iii) after the expiry of a period of three years or above from the date of solemnization of the Marriage, such Marriage shall be registered only after obtaining the written permission of the Divisional Registrar of Anand Marriages, subject to payment of a late fee of rupees two thousand in addition to the fee as specified in sub-rule (3) of Rule 5;

(iv) after a period of six months, the District Registrar may, if necessary, conduct such verification as deemed appropriate.

(2) The parties referred above in sub-rule (1), shall submit their memorandum for registration of Marriage along with an affidavit (duly attested by the Notary or any other officer authorized by the State Government), describing the reasons for its late submission.

Verification and registration of Anand Marriages

7. (1) Where on verification and scrutiny of the memorandum for registration of Marriage and documents received under sub-rule (1) or sub-rule (2) of Rule 5, the Registrar is satisfied that the Marriage has been solemnized, he shall enter the particulars of the Marriage in the register and issue a Certificate of Anand Marriage in Form-IV.

(2) Where the Registrar has reasons to believe that,–

(a) the Marriage between the parties is not an Anand Marriage; or

(b) the identity of the parties or the witnesses testifying the solemnization of the Marriage is not established; or

(c) the documents tendered before him do not establish the factum of solemnization of the Anand Marriage;

he shall, call upon the parties to produce such further information or documents as he may deem necessary, for establishing the identity of the parties and the witnesses or correction of the information or documents presented to him within a period of thirty days from the date of receipt of memorandum for registration of Marriage.

Refusal of registration of Anand Marriage

8. The Registrar shall, for reasons to be recorded in writing, refuse to register the Anand Marriage, if the parties to the Marriage fail to comply with the directions issued by him under sub-rule (2) of Rule 7.

Correction or cancellation of entry in the Marriage Register

9. If the Registrar of Anand Marriages *suo-moto* or on receipt of an application from any person, finds that the entry of a Marriage is erroneous in form or substance or has been fraudulently or improperly made, he may correct or cancel, as the case may be, such entry in the register maintained for the purpose, after passing a speaking order in this behalf and make an entry to that effect in the remarks column of such register:

Provided that such correction or cancellation shall not affect the validity of the Marriage as solemnized :

Provided further that the parties concerned shall be given a reasonable opportunity of being heard, before passing of such an order by the Registrar of Anand Marriages, for such correction or cancellation, as the case may be, of entry in the register pertaining to such Marriage.

Appeal against the orders of Registrar or District Registrar of Anand Marriages

10. (1) Any person aggrieved of an order passed by the Registrar of Anand Marriages, may file an appeal within a period of thirty days from the date of passing of such order, to the District Registrar of Anand Marriages in Form-V, on payment of a fee of rupees one thousand in the form of Court fee stamps.

(2) Any person aggrieved of an order passed by the District Registrar of Anand Marriages, may file an appeal to the Divisional Registrar of Anand Marriages in Form-VI within a period of sixty days from the date of receipt of copy of such order, on payment of a fee of rupees five hundred in the form of Court fee stamps.

Submission of report of the Marriages registered

11. (1) The Chief Registrar of Anand Marriages shall prepare the report of Anand Marriages solemnized in the State of Uttar Pradesh in a consolidated format as specified and submit the same to the State Government on a quarterly basis.

(2) The Chief Registrar of Anand Marriages, shall issue directions to the Registrar of Anand Marriages, regarding maintenance of records/registers, from time to time, as he deems fit.

(3) The Chief Registrar of Anand Marriages may direct the District Registrar of Anand Marriages and Divisional Registrar of Anand Marriages, to periodically inspect the records of the Registrar of Anand Marriages, falling within their respective jurisdiction.

(4) The Registrar of Anand Marriages shall also forward particulars of the corrections made under rule 9 with the date of correction and a copy thereof to the District Registrar of Anand Marriages.

Maintenance of Anand Marriage Register

12. (1) Every Registrar of Anand Marriages shall maintain an Anand Marriage Register in Form-VII (both in English and Hindi languages).

(2) On an application, the certified extracts of Anand Marriage Register will be provided to the parties to the Marriage on payment of a fee of twenty rupees in the form of Court fee.

By order,
SANYUKTA SAMADDAR,
Pramukh Sachiv.

———————

FORM - I
(*See* Rule 5)

REGISTER OF ANAND MARRIAGES

1. Date of Marriage:

2. Place of Marriage:	Particulars of Village/Town /City	District

Signature of the Husband

Photo of the Husband to be affixed	Photo of the wife to be affixed

Signature of the Wife

3. Details of Parties to the Marriage (As on the date of Marriage)

Details	Husband	Wife
(a) Name in full (in capital letters)		
(b) Nationality		
(c) Age and date of birth (sufficient proof shall be produced)		
(d) Permanent address		
(e) Present address		
*(f) Previous marital status		
Unmarried		
Widower		
Widow		
Divorced		
(g) Name and Address of father		
(h) Name and address of mother		

*Put ( ) mark on whichever is applicable.

4. Witness of solemnization of Marriage

1. (a) Name:

(b) Address: Signature with date

2. (a) Name:

(b) Address: Signature with date

SPACE FOR OFFICE USE

5. Date of Receipt of memorandum.....

6. Details of Documents/records/proof of Marriage required under Rule 6:

Date:

Registrar

Registration No. /(year)

Date …….....

Registrar

FORM - I (A)
[*See Rule* 5(2)]

In case of any Marriage, where one of the parties is Non- Resident Indian or Foreign National.

It shall be mandatory for such parties to disclose and mention in writing the following details:–

1	His/her Passport Number	
2	Name and place of the Passport issuing country	
3	Validity of Passport	
4	Permanent Residential address in the country of current overseas abode	
5	Official/Work address in the country of current overseas abode	
6	Valid present Social Security number or any such similar other identification proof officially issued by the country of foreign abode	

This information shall be entered in the certificate of Marriage as also in the Marriage register.

FORM-II
(*See Rule* 6)

MEMORANDUM FOR REGISTRATION OF ANAND MARRIAGE

1. Date of Marriage:

2.

Place of Marriage	Particulars of Village/Town /City	District

3. Details of Parties to the Marriage (As on the date of Marriage)

Details	Husband	Wife
(a) Name in full (in capital letters)		
(b) Nationality		
(c) Age and date of birth (sufficient proof shall be produced)		
(d) Permanent address		
(e) Present address		
*(f) Previous marital status		
Unmarried		
Widower		
Widow		
(g) Name and Address of father		
(h) Name and address of mother		

*Put ( ) mark on whichever is applicable.

4. Witness of solemnization of Marriage

1. (a) Name

   (b) Address

   (c) Signature with date

2. (a) Name

   (b) Address

   (c) Signature with date

5. Details of Documents/records/proof of Marriage required under rule

Declaration of the Parties

We* .....do hereby declare that the details shown above are true to the best of our knowledge and belief.

Signature of the Parties:

Place: Date:	1. Husband 2. Wife

(For Office Use)

Received by Post/in Person on.....

Registered in the Register of Anand Marriages on ..... Registrar as Regn. No. .....

Registrar of Anand Marriages

*Name of Husband and wife

FORM - III

(See Rule 6)

DECLARATION

We, I ..... do hereby declare that our Marriage was solemnized on ..... (Date of Marriage) at (place of Marriage).

The memorandum for registration of Marriage could not be submitted within the period specified under rule 6 due to (specify reason). We hereby submit memorandum (Form-II) along with documents to prove the solemnization of the Marriage for the purpose of registration of our Marriage.

Place:

Date:

Signature of husband Signature of wife

1. Name of Husband and wife

FORM - IV

[*See Rule* 7(l)]

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Department of Minority Welfare and Waqf

CERTIFICATE OF ANAND MARRIAGE

(issued under rule 7 of the Uttar Pradesh Anand Marriages Registration Rules, 2025)

Certificate No. .....

Date .....

This is to certify that the following information has been taken from the Register of Anand Marriages maintained in Form No. 1 in the Office of the Registrar of…… (local area).

1. Date of Marriage.....
2. Place of Marriage…… (as in Form No. 1)
3. Details of parties to the Marriage

Details	Husband	Wife
(a) Name in full (in capital letters)		
(b) Nationality		
(c) Age and date of birth		
(d) Occupation		
(e) Permanent address		
(f) Photographs: (Office seal covering photographs)		

Registration no. with Year

Date of Registration .....

Registrar of Anand Marriages

_____

FORM - V

[*See Rule* 10(1)]

Application for appeal before the District Registrar of Anand Marriages against the order Passed by the Registrar of Anand Marriages.

1. Name of the Applicant /Petitioner-
2. Name of the Applicant's father-
3. Complete Address of the applicant-
4. Date of application by the applicants before the Registrar of Anand Marriages-
5. Order passed by the Registrar of Anand Marriages dated-
6. Conclusion of the order passed by the Marriage Registrar-
7. Main reason for the appeal before the District Registrar of Anand Marriages-

Declaration of the parties

We do hereby declare that the details shown above are true to the best of our know and belief.

Signatures of the parties-

Husband-

Wife-

Place-

Date-

Witness-

(Signature/thumb impression of witnesses present at the time of filing)

FORM - VI

[*See Rule* 10(2)]

Application for appeal before the Divisional Registrar of Anand Marriages against the order Passed by the District Registrar of Anand Marriages.

1. Name of the Applicant /Petitioner-
2. Name of the respondent's father-
3. Complete Address of the applicant-
4. Date of application before the District Registrar of Anand Marriages -
5. Order passed by the District Registrar of Anand Marriages dated-
6. Conclusion of the order passed by the District Registrar of Anand Marriages -
7. Main reason for the appeal before the Divisional Registrar of Anand Marriages -

Declaration of the parties

We do hereby declare that the details shown above are true to the best of our know and belief.

Signatures of the parties-
Husband-
Wife-
Place-
Date-
Witness-
(Signature/thumb impression of witnesses present at the time of filing)

FORM - VII

[*See Rule 12*]

ANAND MARRIAGE REGISTER

Sr. No.	Name of the Bridegroom/ Bride	Parentage of both bridegroom/ bride	Residential address of both bridegroom/bride	Date of solemnization of Marriage	Place where Marriage solemnized	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

पी0एस0यू0पी–ए0पी0 414 राजपत्र–2026–(1269)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी–ए0पी0 3 सा0 अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ 2026–(1270)–500 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

414 RPH 2026 (alp. waqf)Niyamawali Data 1e